



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28012021-224737
CG-DL-E-28012021-224737

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 348]
No. 348]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 27, 2021/माघ 7, 1942
NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 27, 2021/MAGHA 7, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2021

का.आ. 380(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि गुजरात राज्य के वलसाड जिले में NH848B के 28.4 से कि.मी.28.6 तक के भू-खण्ड के निर्माण (रेलवे ओवरब्रिज और उसके रास्ते और सर्विस रोड/चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् प्रान्त अफसर & सब-डिविशनल (तालुका सेवा सदन, पारदी, ब्लॉक नंबर 2, पहली मंजिल एनएच -48 के पास, तालुका-पारडी, जिला-वलसाड) को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर

सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

गुजरात राज्य के वलसाड जिले में NH848B के कि.मी. 28.4 से कि.मी.28.6 (तालुका सेवा सदन नियर नह ४८) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: गुजरात		जिले का नाम: वलसाड			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: पारडी					
गांव का नाम: ओरवाड					
1	410	सरकारी	गैर कृषि	0.0867000(हेक्टेयर)	0.0867000
2	412	सरकारी	गैर कृषि	0.6650000(हेक्टेयर)	0.6650000
3	418	निजी	कृषि	0.0070000(हेक्टेयर)	0.0070000
4	420	निजी	कृषि	0.0122000(हेक्टेयर)	0.0122000
5	430	निजी	कृषि	0.0053000(हेक्टेयर)	0.0053000
6	431	निजी	कृषि	0.0275000(हेक्टेयर)	0.0275000
7	432	निजी	कृषि	0.0180000(हेक्टेयर)	0.0180000
8	433	सरकारी	गैर कृषि	0.0543000(हेक्टेयर)	0.0543000
9	434	निजी	कृषि	0.0091000(हेक्टेयर)	0.0091000
10	435	निजी	कृषि	0.0116000(हेक्टेयर)	0.0116000
11	436	सरकारी	गैर कृषि	0.0893000(हेक्टेयर)	0.0893000
12	440	निजी	कृषि	0.0138000(हेक्टेयर)	0.0138000
13	441	निजी	कृषि	0.0447000(हेक्टेयर)	0.0447000
14	442	निजी	कृषि	0.0155000(हेक्टेयर)	0.0155000
15	443	निजी	कृषि	0.0251000(हेक्टेयर)	0.0251000
16	444	निजी	कृषि	0.0146000(हेक्टेयर)	0.0146000
17	446	निजी	कृषि	0.0210000(हेक्टेयर)	0.0210000

18	448	निजी	कृषि	0.0173000(हेक्टेयर)	0.0173000
19	465	सरकारी	गैर कृषि	0.0582000(हेक्टेयर)	0.0582000
20	466	सरकारी	गैर कृषि	0.0608000(हेक्टेयर)	0.0608000
गांव का नाम: रेंटलाव					
1	43	निजी	कृषि	0.0186000(हेक्टेयर)	0.0186000
2	44	सरकारी	गैर कृषि	0.1026000(हेक्टेयर)	0.1026000
कुल				1.3782	0.7797

[फा. सं. GJ/P/V/30/2020/3A]

राजेश गुप्ता निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th January, 2021

S.O. 380(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH848B in the stretch of land from Km 28.4 to Km 28.6 (TALUKA SEVA SADAN NEAR NH 48) in the district of VALSAD in the state of GUJARAT, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, PRANT OFFICER AND SUB DIVISIONAL MAGISTRATE in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH848B in the stretch from Km. 28.4 to Km. 28.6 of land from NH848B (TALUKA SEVA SADAN NEAR NH 48) in the district of VALSAD in the state of GUJARAT.

State: GUJARAT		District: VALSAD			
Sl.No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Pardi					
Village: Orvad					
1	410	Government	non Agriculture	0.0867000(Hectare)	0.0867000
2	412	Government	non Agriculture	0.6650000(Hectare)	0.0665000
3	418	Private	Agriculture	0.0070000(Hectare)	0.0070000
4	420	Private	Agriculture	0.0122000(Hectare)	0.0122000

5	430	Private	Agriculture	0.0053000(Hectare)	0.0053000
6	431	Private	Agriculture	0.0275000(Hectare)	0.0275000
7	432	Private	Agriculture	0.0180000(Hectare)	0.0180000
8	433	Government	non Agriculture	0.0543000(Hectare)	0.0543000
9	434	Private	Agriculture	0.0091000(Hectare)	0.0091000
10	435	Private	Agriculture	0.0116000(Hectare)	0.0116000
11	436	Government	non Agriculture	0.0893000(Hectare)	0.0893000
12	440	Private	Agriculture	0.0138000(Hectare)	0.0138000
13	441	Private	Agriculture	0.0447000(Hectare)	0.0447000
14	442	Private	Agriculture	0.0155000(Hectare)	0.0155000
15	443	Private	Agriculture	0.0251000(Hectare)	0.0251000
16	444	Private	Agriculture	0.0146000(Hectare)	0.0146000
17	446	Private	Agriculture	0.0210000(Hectare)	0.0210000
18	448	Private	Agriculture	0.0173000(Hectare)	0.0173000
19	465	Government	non Agriculture	0.0582000(Hectare)	0.0582000
20	466	Government	non Agriculture	0.0608000(Hectare)	0.0608000
Village: Rentlav					
1	43	Private	Agriculture	0.0186000(Hectare)	0.0186000
2	44	Government	non Agriculture	0.1026000(Hectare)	0.1026000
Total				1.3782	0.7797

[F. No. GJ/P/V/30/2020/3A]

RAJESH GUPTA, Director